

पचा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 323/2025

1. ओमप्रकाश पि० सुरजाराम जाति जाट निवासीयान मल्लडखेडा तहसील टिब्बी
2. कृष्णचन्द्र जिला हनुमानगढ।

बनाम्

वादीगण

1. सावित्री पुत्री सुरजाराम पत्नी हरदेवाराम जाति जाट निवासी गुडिया खेडा तहसील व जिला सिरसा हरि०।
- कौशल्या पुत्री सुरजाराम पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी गुडिया खेडा तहसील व जिला सिरसा हरि०।
3. मोनिका पुत्री सुन्दर उर्फ छिन्द्र देवी पत्नी रोहिताश निवासी वार्ड नं० 02, रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. प्रमोद पुत्र सुन्दर उर्फ छिन्द्र देवी जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. निर्मला पुत्री सुरजाराम पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. रमेश पुत्र गुड्डी देवी जाति जाट निवासी 1 केकेडबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. कान्ता पुत्री गुड्डी देवी पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी पीरखेडा तहसील रानियां जिला सिरसा।
8. संजय कुमार पुत्र गुड्डी देवी जाति जाट निवासी 1 केकेडबल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. विमला पुत्री सुरजाराम पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी वार्ड नं० 07, चक 22 एजी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
10. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

डिक्री


दिनांक 11/8/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नैण व प्रतिवादी वकील परमजीतसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है क. वादी सं० 1 ओमप्रकाश को प्राप्त आराजी - चकनं० 9 एम.

एस के खाता सं० 9/10 के प०न० 188/228 मु० 9 किलानं० 24/.253, 25/.253, 1/0.253, 5/.253 है०

ख. वादीसं० 2 कृष्णचन्द्र को प्राप्त आराजी:- चक नं० 9 एम.के.एस के खाता सं० 9 /10 के प०न० 188 / 230 मु० 22 किलानं० 22 / .253, प०न० 188 / 231 मु० 31 किलानं० 2/1/.228, 2/2/.025 है० गै०मु० खाला इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 9 एम. के. एस के खाता सं० 9/10 में से कौशल्या, गुडी, निर्मला, विमला, सुन्दर, सावित्री का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार वादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।  
पटन सिंह  
टिब्बी